

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 अप्रैल 2015—चैत्र 26, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्र. एफ-ए-1-15-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, अनुसूची में,—

शीर्षक “छब्बीस—सामाजिक व्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग” के अधीन,—

भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अनुक्रमांक 13—ख के पश्चात्, निम्नलिखित नया अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्,—

“13—ग. किन्नर समुदाय (ट्रांसजेण्डर) के लिये कल्याणकारी योजनाएं”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2015

क्र. एफ-ए-1-15-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-1-15-2014-एक (1), दिनांक 16 अप्रैल 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 16th April 2015

No. F-A-1-15-2014-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

In rule 2, in the Scheduled, under the heading “XXVI—SOCIAL JUSTICE AND DISABLED PERSONS WELFARE DEPARTMENT” in part (A), matters of Policy dealt within the Department, after **Serial number 13-B**, the following new serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“ 13-C. Welfare Schemes for Transgender community”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.